न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
जिला कोरबा (छ.ग.)
पीठासीन अधिकारी– कु. प्रेरणा वर्मा

निर्णय दिनांकः–21.07.2026

दा.प्र.क्र.–991/2020

धारा – 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

संस्थित दिनांक–15.12.2020

परिवादी	पंजाब नेशनल बैंक, द्वारा शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)
प्रतिनिधिकर्ता	श्री निलेश श्रीवास अधिवक्ता।
	विरूद्ध
अभियुक्त	पवन राम बघेल, पिता–मिलन राम बघेल, निवासी–ग्राम कटघोरा, तहसील भांठा हरिजन मोहल्ला, कटघोरा, थाना कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)
प्रतिनिधिकर्ता	श्री विजय जायसवाल अधिवक्ता।

चेक जारी दिनांक	28.02.2020
रिटर्न मेमो दिनांक	28.02.2020
मांग सूचना/विधिक पत्र दिनांक	30.05.2020
डाक रसीद दिनांक	01.06.2020
प्राप्ति की अभिस्वीकृति दिनांक	–
अपराध विवरण दिनांक	10.12.2021
परिवादी साक्ष्य प्रारंभ दिनांक	11.11.2024
बचाव साक्ष्य प्रारंभ दिनांक	–
निर्णय सुरक्षित दिनांक	15.07.2026
निर्णय दिनांक	21.07.2026
सजा या आदेश की तिथि यदि कोई हो तो	21.07.2026

अभियुक्त का विवरण

क्र	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत की तिथि	अपराध का आरोप	दोषमुक्त/ दोषसिद्धि	दी गई सजा	धारा 428 द.प्र.सं. के तहत प्रकरण के लंबनकाल के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
1	पवनराम बघेल	–	–	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम**	दोषसिद्ध	छः माह के साधारण कारावास एवं दं.प्र.सं. की धारा 357(3) के प्रावधान में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में राशि ₹ 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) प्रतिकर के रूप में परिवादी को प्रदाय करने हेतु दण्डित किया जाता। अगर प्रतिकर की राशि में चूक होती है तो अभियुक्त को पृथक से 1 माह का साधारण कारावास भुगताया जाए।	निरंक

–: अनुक्रमणिका:–

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	निर्णय का शीर्षक	5
02	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
03	आरोप	5
04	स्वीकृत तथ्य	5
05	परिवाद का संक्षिप्त विवरण	5–6
06	अभियुक्त की प्रतिरक्षा	निरंक
07	अवधारणीय प्रश्न	8–9
08	कारण व निष्कर्ष	9–20
09	सजा	20–21
10	निरोध की अवधि एवं सेट ऑफ	21
11	संपत्ति का व्ययन	21
12	मुआवजा/प्रतिकर आदेश	20
13	धारा 428 दं.प्र.सं.का प्रमाण पत्र	22
14	सजा में प्रतिबद्धता का वारंट (कारावास या अर्थदंड)	20
15	निर्णय की प्रति	21

// निर्णय //

(आज दिनांक–21.07.2026 को घोषित)

1– अभियुक्त **पवन राम बघेल** के विरूद्ध धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 28.02.2020 को स्थान पंजाब नेशनल बैंक शाखा–कटघोरा, जिला–कोरबा (छ.ग.) का चेक क्रमांक 190091, राशि 71,682/–रू. (इकहत्तर हजार छः सौ बियासी रूपये) यह जानते हुए परिवादी बैंक को प्रदान किया, जो अपर्याप्त निधि होने से बैंक द्वारा अनादरित किया गया और चेक की राशि के भुगतान के संबंध में परिवादी बैंक द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त करने के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा 15 दिन के भीतर प्रश्नाधीन चेक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया।

2– प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3.1– परिवादी का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अभियुक्त परिवादी बैंक से ऑटो सर्विस व्यवसाय हेतु लोन प्राप्त किये जाने के निवेदन पर परिवादी बैंक द्वारा दिनांक 14.12.2016 को रकम 1,00,000/–रूपये ऋण स्वीकृति की गयी थी एवं अभियुक्त का ऋण खाता क्रमांक

610800JK00000044 खोला गया था । अभियुक्त द्वारा परिवादी बैंक से ली गयी ऋण राशि 1,00,000/–रूपये की माहवारी किस्त प्रतिमाह निश्चित किये जाने के पश्चात अभियुक्त द्वारा परिवादी बैंक से लिये गये ऋण को जमा किये जाने में अनियमितता की गयी है। अभियुक्त द्वारा की गयी अनियमितता के संबंध में परिवादी बैंक ने अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया परंतु अभियुक्त द्वारा नियमित रूप से राशि जमा नही करने के कारण अभियुक्त का खाता एन.पी.ए हो गया है तथा अभियुक्त का ऋण 71,682.75/–रूपये मय ब्याज सहित बकाया है। परिवादी बैंक द्वारा ऋण अदायगी हेतु अभियुक्त से संपर्क करने पर अभियुक्त के द्वारा चेक क्रमांक 190091 दिनांक 28.02.2020 रकम 71,682.75/–रूपये परिवादी बैंक के नाम पर दिया गया था।

3.2– परिवादी ने उक्त चेक को पंजाब नेशनल बैंक शाखा–कटघोरा में जमा किया, किंतु उक्त चेक अपर्याप्त निधि लिखकर अनादरित हो गया। परिवादी द्वारा चेक के अनादरण के उपरांत अपने अभियुक्त के माध्यम से चेक अनादरण की सूचना एवं राशि भुगतान करने बाबत मांग नोटिस दिनांक 30.05.2025 को पंजीकृत डाक से अभियुक्त को प्रेषित किया गया था, जो अभियुक्त को प्राप्त होने के पश्चात अभियुक्त द्वारा नोटिस का जवाब प्रेषित

करते हुये संपूर्ण तथ्यों को इंकार करने के कारण परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत किया है।

4– अभियुक्त को **धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के तहत अपराध की विशिष्टियाँ पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर उसने आरोप को अस्वीकार कर विचारण चाहा। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–313 के तहत लिये गये अभियुक्त का परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त के द्वारा व्यक्त किया कि उसे झूठा फंसाया गया है।

5. परीक्षित साक्षियों के लिए नमूना चार्ट

परिवादी साक्षी क्र.	साक्षी का नाम	विवरण
1	त्रिवेन्द्र कुमार	पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक

6. परीक्षित साक्षियों के दस्तावेजों के लिए नमूना चार्ट

प्रदर्श पी	प्रदर्श का विवरण	किसके द्वारा प्रमाणित
1	अभियुक्त के द्वारा जारी चेक	परि.सा.क्र.–01
2	पंजाब नेशनल बैंक शाखा कटघोरा का ज्ञापन	परि.सा.क्र.–01
3	विधिक नोटिस	परि.सा.क्र.–01
4	इंडिया पोस्ट का एक्नॉलेजमेंट	परि.सा.क्र.–01
5	नोटिस की प्राप्ति अभिस्वीकृति	परि.सा.क्र.–01

7– अभियुक्त के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में किसी भी साक्षी का साक्ष्य पेश नहीं किया है।

8– प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि–

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.02.2020 को पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) का चेक क्रमांक 190091 राशि 71,682/–रूपये का चेक परिवादी बैंक को प्रदान किया ?

(2) क्या परिवादी बैंक द्वारा प्रश्नगत चेक को 3 माह के अंदर या उसकी विधि मान्यता की अवधि के भीतर बैंक में समाशोधन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है ?

(3) क्या उक्त प्रश्नगत चैक अनादरित हुआ है ?

(4) क्या बैंक द्वारा प्रश्नगत चैक के असंगत वापसी की सूचना की प्राप्ति के बाद 30 दिनों के अंदर परिवादी बैंक ने अभियुक्त को लिखित नोटिस देकर कथित धनराशि के संदाय के लिये मांग हेतु नोटिस प्रेषित कर दिया था?

(5) क्या अभियुक्त द्वारा कथित नोटिस प्राप्त करने के बाद भी 15 दिनों के अंदर कथित धनराशि का संदाय सम्यक अनुक्रम में करने में असफल रहा है ?

(6) क्या उक्त चेक अभियुक्त ने वैध ऋण/अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए परिवादी बैंक को प्रदत्त किया है ?

(7) दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि ?

–//विचारणीय प्रश्न क्र. 01 से 05 पर सकारण निष्कर्ष//–

9– उपरोक्त समस्त बिंदु एक ही तथ्य से संबंधित है, इसलिए साक्ष्य की पुनरावृत्ति एवं दोहराव को रोकने के लिए समस्त बिंदुओं पर एक साथ विचार किया जा रहा है । **त्रिवेन्द्र कुमार डहरिया (परि.सा.–01)** ने परिवाद पत्र का पूर्णतः समर्थन कर शपथ पत्र अंतर्गत धारा–145 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के माध्यम से अपने न्यायालयीन कथन में यह कथन किया कि अभियुक्त के निवेदन पर परिवादी बैंक ने अभियुक्त को ऑटो व्यवसाय हेतु दिनांक 14.12.2016 को रकम 1,00,000/–रूपये लोन की स्वीकृति की थी तथा उक्त संबंध में अभियुक्त ने परिवादी बैंक से उक्त ऋण के संबंध में ऋण दस्तावेजों का निष्पादन किया था एवं अभियुक्त का ऋण खाता 610800JK00000044 खोला गया था।

10– साक्षी ने आगे यह कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त ऋण की नियमित रूप से अदायगी न किये जाने पर परिवादी बैंक द्वारा अभियुक्त से संपर्क किया गया परंतु अभियुक्त द्वारा बैंक में ऋण खाते पर राशि

जमा नही की गयी। परिवादी बैंक के समक्ष अधिकारियों द्वारा अभियुक्त से लगातार संपर्क करने के पश्चात अभियुक्त ने परिवादी बैंक को अपने खाता क्रमांक 6108000100060943 का चेक क्रमांक 190091 दिनांक 28.02.2020 रकम 71,682.75/–रूपये का दिया।

11– परिवादी साक्षी **त्रिवेन्द्र कुमार डहरिया (परि.सा.–01)** ने आगे यह कथन किया है कि अभियुक्त के द्वारा परिवादी बैंक को दिये गये चेक को बैंक में जमा किया जो कि बिना भुगतान टीप क्रमांक 01 राशि अपर्याप्त है "FUND INSUFFICIENT" के ज्ञापन के साथ परिवादी बैंक को वापस प्राप्त हुआ। अभियुक्त के द्वारा दिये गये चेक के बिना भुगतान ज्ञापन वापस होने के पश्चात पंजाब नेशनल बैंक शाखा कटघोरा के अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड विधिक सूचना दिनांक 30.05.2020 को अभियुक्त को प्रेषित की गयी थी किंतु अभियुक्त द्वारा विधिक सूचना का प्रयुत्तर नही दिया गया और न ही चेक में वर्णित रकम को जमा की गयी।

12– **परिवादी त्रिवेन्द्र कुमार (प.सा.–01)** द्वारा अपने पक्ष समर्थन में चेक क्र. 190091 पंजाब स्टेट बैंक शाखा–कटघोरा, जिला कोरबा छ.ग. राशि 71,682.75/–रूपये (इकहत्तर हजार छः सौ बयासी रूपये पचहत्तर पैसे) दिनांकित 28.02.2020 की मूल प्रति **प्र.पी.–01,** रिटर्न मेमो

दिनांकित 28.02.2020 की मूल प्रति **प्र.पी.–02,** दिनांक 30.05.2020 अधिवक्ता मार्फत नोटिस **प्र.पी.–03,** डाक रसीद **प्र.पी.–04** एवं रजिस्टर्ड नोटिस की प्राप्ति स्वीकृति पत्र **प्र.पी.–05** प्रस्तुत किया गया है।

13– **साक्षी त्रिवेन्द्र कुमार** (**परि.सा.–01**) के साक्ष्य से दिनांक 28.02.2020 को अभियुक्त द्वारा परिवादी बैंक के नाम पर चेक क्रमांक 190091 परिवादी संस्था को प्रदान किये जाने का अखंडित साक्ष्य रहा है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत चेक **प्र.पी.–01** दिनांक 28.02.2020 के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त ने उक्त प्रश्नगत चेक परिवादी बैंक के नाम पर स्वयं अभियुक्त पवनराम बघेल के द्वारा हस्ताक्षर कर जारी किया है, जिसमें अभियुक्त का खाता क्रमांक अंकित है । अभियुक्त के द्वारा प्रश्नगत चेक **प्र.पी.–01** में अपना हस्ताक्षर होने के तथ्य को इंकार नही किया गया है, ना ही अपने पक्ष समर्थन में उक्त तथ्य के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । अतः प्रमाणित है कि प्रश्नगत चेक **प्र.पी.–01** अभियुक्त के खाता का है और अभियुक्त ने प्रश्नगत चेक **प्र.पी.–01** परिवादी बैंक को प्रदत्त किया है। अतः **विचारणीय बिंदु क्रमांक 01 पर निष्कर्ष "प्रमाणित हाँ"** में दिया जाता है।

14– परिवादी द्वारा प्रश्नगत चेक को 3 माह के अंदर या उसकी विधि मान्यता की अवधि के भीतर बैंक में समाशोधन हेतु प्रस्तुत कर दिये जाने

तथा उक्त प्रश्नगत चैक अनादरित होने के संबंध में परक्राम्य लिखत अधिनियम की **धारा–146** में यह प्रावधानित है कि न्यायालय प्रत्येक कार्यवाही के संबंध में बैंक के सील को पेश करने पर या ज्ञापन उस पर प्राधिकृत चिन्ह रहने पर, सूचित करते हुये चैक अनादरित किया गया है। ऐसे चैक का अनादरण के तथ्य का उपधारणा करेगा, जब तक ऐसे तथ्य अप्रमाणित न हो।

15– हस्तगत प्रकरण में संलग्न रिटर्न मेमो दिनांक 28.02.2020 **प्र.पी.–02** के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रश्नगत चेक “Funds insufficient” होने की टीप के साथ वापस कर दिया गया था तथा उक्त रिटर्न मेमो **प्र.पी.–02** में बैंक का सील है एवं सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर है। अतः परिवादी द्वारा प्रश्नगत चेक **प्र.पी–01** दिनांक 28.02.2020 को 03 माह के भीतर दिनांक 28.02.2020 को बैंक में प्रस्तुत किया जाना एवं दिनांक 28.02.2020 को उक्त चेक “Funds insufficient” की टीप के साथ अनादरित होने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है। अतः **विचारणीय बिंदु क्रमांक 02 एवं 03 का निष्कर्ष "प्रमाणित हाँ"** में दिया जाता है।

16– धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अनुसार जिस दिनांक को परिवादी बैंक को चैक अनादरण की सूचना प्राप्त होती है उससे

30 दिवस के भीतर लिखित में माँग सूचना पत्र/नोटिस अभियुक्त को भेजना होता है। मात्र 30 दिवस में माँग सूचना पत्र/नोटिस भेजना पर्याप्त नहीं है, अपितु वह माँग सूचना पत्र/नोटिस अभियुक्त को प्राप्त भी हो जाना चाहिए। माँग सूचना पत्र/नोटिस **प्र.पी.–03** के अवलोकन से दर्शित है उक्त नोटिस दिनांक 30.05.2020 को पंजीकृत डाक से अभियुक्त के दिये पते पर प्रेषित किया गया है जिसकी डाक पावती **प्र.पी.–04** दिनांक 01.06.2020 है एवं प्राप्ती अभिस्वीकृति **प्र.पी.–05** के अनुसार उक्त नोटिस अभियुक्त को प्राप्त होना दर्शित है।

17– अभियुक्त को नोटिस प्राप्त होने के संबंध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसे भेजे गये रजिस्टर्ड नोटिस के डाक विभाग का एक्नालेजमेंट मे दिनांक उल्लेखित नही है। तत्संबंध में यह उल्लेखनीय है कि किसी भी तथ्य की उपधारणा उस समय उत्पन्न होती है, जब साधारण खंड अधिनियम की धारा 27 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृंष्टात (च) के अनुसार निर्वहन किये जाने की प्रक्रिया स्पष्टतः प्रगट किया हो, जो परिवादी ने किया है । उपरोक्त तर्क के संबध मे माननीय उच्चतम् न्यायालय का न्यायदृष्टांत **N Parameswaran Unni vs. G kannan,(2017) 5 SCC 737.**

अवलोकनीय है जिसमे स्पष्ट किया है कि "It is clear from Section 27 of the General Clauses Act 1897 and section 114 of the Evidence Act, 1872 that once notice is sent by registered post by correctly addressing to the drawer of the cheque, the service of notice is deemed to have been effected. However, the drawer is at liberty to rebut this presumption, ”

18– उपरोक्त प्रावधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत से साथ ही परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्राप्ति अभिस्वीकृति **प्र.पी.–05** से यह उपधारित किया जाता है कि अभियुक्त को मांग सूचना पत्र/नोटिस उसके दिये पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 01.06.2020 को प्रेषित किया गया है, जो अभियुक्त को प्राप्त हो गया है, जिसका खंडन अभियुक्त की ओर से नही किया गया है ।

19– प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्त को नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चेक की राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार परिवादी को अनादरण की सूचना दिनांक 28.02.2020 को प्राप्त होने पर 30 दिवस के भीतर अभियुक्त को माँग सूचना पत्र/नोटिस प्रेषित किये जाने का तथ्य एवं नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस

के भीतर अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चेक की राशि परिवादी को वापस प्रदान नही किये जाने का तथ्य प्रमाणित होता है। अतः **विचारणीय बिन्दु क्र.–04 एवं 05 का निष्कर्ष ''प्रमाणित हाँ''** में होना अंकित किया जाता है ।

–//विचारणीय प्रश्न क्र. 06 पर सकारण निष्कर्ष//–

20– उपरोक्त आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चेक **प्र.पी.–01** परिवादी को प्रदान किया गया था। अब प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त के द्वारा उक्त चेक परिवादी को वैध ऋण/अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्रदान किया था। इस संबंध में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–139 का अवलोकन किया जाना भी आवश्यक है, जिसमें प्रावधानित है कि जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारणा की जाएगी कि चेक के धारक ने धारा–138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है । अतः इस प्रकरण में यह उपधारणा की जाती है कि प्रश्नगत चेक **प्र.पी.–01** परिवादी ने अभियुक्त से किसी वैध ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन के लिये प्राप्त किया था ।

21– उपरोक्त उपधारणा को खंडन करने का भार अभियुक्त पर है। अभियुक्त अपने पक्ष में प्रस्तुत साक्ष्य के माध्यम से अथवा परिवादी साक्षी के

प्रतिपरीक्षण के माध्यम से उक्त उपधारणा को खंडित कर सकता है। अभियुक्त ने अपने बचाव में परिवादी **साक्षी त्रिवेन्द्र कुमार डहरिया (परि.सा.–01)** के प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 15 में साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जब आरोपी का परिवादी बैंक से लोन स्वीकृत हुआ था उस समय साक्षी बैंक मे उपस्थित नही था एवं आरोपी के द्वारा लिये गये ऋण में निष्पादन संबंधी दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नही किया गया है।

22– उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूंकि परिवादी बैंक एक संस्था है एवं उक्त संस्था के पदाधिकारियों का समय समय पर स्थानांतरण होने के कारण अधिकारी बदलते रहते हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि आरोपी द्वारा जिस दिनांक को बैंक से ऋण प्राप्त किया गया था उस समय पर परिवादी साक्षी **त्रिवेन्द्र कुमार (परि.सा.–01)** परिवादी बैंक में उपस्थित नही थे। यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी संस्था द्वारा यद्यपि साक्ष्य के स्तर पर ऋण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है किंतु अंतिम तर्क के स्तर पर परिवादी बैंक की ओर से बैंक एवं अभियुक्त के मध्य निष्पादित ऋण करार की बैंक द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत है एवं उक्त करार में अभियुक्त द्वारा बैंक से 1,00,000/–रूपये का ऋण प्राप्त करना उल्लेखित है एवं उक्त करार में अभियुक्त का हस्ताक्षर होना दर्शित है।

23– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि अभियुक्त द्वारा बतौर सिक्यूरिटी दिये गये कोरे चेक का परिवादी बैंक द्वारा दुरूपयोग किया गया है। यदि यह तर्क मान लिया जावे कि अभियुक्त द्वारा कोरा चेक परिवादी को प्रदान किया गया था, तत्संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत **Bir Singh v. Mukesh Kumar (2019) 4 SSC 197** अवलोकनीय है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि "Even a blank cheque leaf, voluntarily signed and handed over by the accused, which is towards some payment, would attract presumption under Section 139 of the Negotiable Instruments Act, in the absence of any cogent evidence to show that the cheque was not issued in discharge of a debt.” अर्थात यदि कोरा चेक भी स्वेच्छया हस्ताक्षरित कर अभियुक्त द्वारा प्रदान किया गया है, तब भी परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–139 की उपधारणा लागू होगी ।

24– हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा यह भी बचाव लिया गया है कि परिवादी बैंक द्वारा ऋण खाता का कोई स्टेटमेंट प्रस्तुत नही किया गया है। तत्संबंध में परिवादी बैंक द्वारा ऋण करार की प्रति प्रस्तुत की गयी है। अब यह प्रमाणित करने का भार कि अभियुक्त द्वारा ऋण की राशि अदा कर

दी गयी है, अभियुक्त पर है किंतु अभियुक्त द्वारा तत्संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। इसके विपरीत परिवादी बैंक द्वारा प्रस्तुत ऋण करार के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी संस्था से 1,00,000/–रूपये का ऋण दिनांक 14.12.2016 को प्राप्त किया था। अभियुक्त द्वारा यह भी बचाव लिया गया है कि चेक में किया गया हस्ताक्षर एवं अन्य लिखावट अलग अलग है। तत्संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत चेक **प्र.पी–01** में अभियुक्त का हस्ताक्षर/हस्तलिपि नही होने के तथ्य को प्रमाणित करने हेतु अभियुक्त स्वतंत्र था किंतु अभियुक्त द्वारा तत्संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

25– इस प्रकार परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–139 के अनुरूप यह उपधारणा कि प्रश्नगत चेक **प्र.पी.–01** वैध ऋण के उन्मोचन हेतु अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रदान किये जाने के खंडन में वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, न ही कोई दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। परिवादी साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान भी ऐसा कोई सारवान तथ्य सामने नहीं आया है जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त द्वारा उक्त चेक वैध ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिये नहीं दिया गया था।

26– अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्त ने "वैध दायित्व के उन्मोचन" हेतु चेक को जारी किया था तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 एवं 139 की उपधारणा का खंडन करने में अभियुक्त असफल रहा है । अतः **विचारणीय बिंदु क्र. 06 का निष्कर्ष "प्रमाणित हां "** में अंकित किया जाता है।

–// विचारणीय बिंदु क्र. 07 पर सकारण निष्कर्ष//–

दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि

27– अतः उपरोक्त साक्ष्य के क्रमबंधन एवं विवेचन से यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने परिवादी बैंक को वैध ऋण के दायित्व के भागतः/पूर्णतः उन्मोचन के लिये प्रश्नगत चेक प्रदान किया था। उक्त चेक अभियुक्त के खाते में **Funds insufficient** होने के कारण अनादरित हुआ। परिवादी ने इसकी सूचना अभियुक्त को दी लेकिन अभियुक्त ने चेक की रकम विहित अवधि में परिवादी बैंक को प्रदत्त नहीं की। इसलिए अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–138 के अपराध के लिये **दोषसिद्ध ठहराया** जाता है।

28– अभियुक्त एक परिपक्व आयु का वयस्क व्यक्ति है, जो अपराध प्रमाणित हुआ है वह आर्थिक अपराध है। इसलिए उसे परिवीक्षा का लाभ

नहीं दिया जा सकता है ।

29– प्रश्नगत चैक की राशि **₹ 71,682/–(इकहत्तर हजार छः सौ बियासी रूपये)** है। किन्तु वाद के लंबनकाल, प्रकरण की परिस्थितियों, परिवादी द्वारा परिवाद के संचालन में किये गये खर्च तथा चेक की राशि **₹ 71,682/–(इकहत्तर हजार छः सौ बियासी रूपये)** को दृष्टिगत रखते हुये**, अभियुक्त पवनराम बघेल** को **छः माह के साधारण कारावास सहित दं.प्र.सं. की धारा 357(3) के प्रावधान में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में राशि ₹ 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये)** प्रतिकर के रूप में परिवादी को प्रदाय करने हेतु दण्डित किया जाता। अगर **प्रतिकर की राशि में चूक होती है तो अभियुक्त को पृथक से 1 माह का साधारण कारावास भुगताया जाए।** परिवादी को प्रतिकर की राशि का भुगतान परिवाद की अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अनुरूप किया जावे। **प्रतिकर की राशि जुर्माने की राशि की तरह वसूलनीय** होगी।

30– अभियुक्त को पूर्व के जमानत/मुचलका **धारा 437ए दं.प्र.सं.** के पालन हेतु निर्णय दिनांक से **06 माह** तक प्रवर्तन में रहेगें।

31– प्रकरण में निराकरण योग्य संपत्ति कुछ नहीं है।

32– अभियुक्त को दिए गए दंडादेश से धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत मुजरा किए जाने योग्य अभियुक्त की निरोध अवधि निरंक है। इस संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के प्रावधान के तहत पृथक से तालिका निर्मित की गई है जो कि निर्णय का भाग मानी जावेगी।

33– अभियुक्त एवं अभियोजन को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

34– प्रकरण मे संलग्न दस्तावेज अभिलेख का भाग रहेंगे । अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य होगा ।

निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
किया गया ।

PRERANA VERMA
Digitally signed by PRERANA VERMA

(कु. प्रेरणा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

मेरे निर्देशन में टंकित कर घोषित
किया गया ।

PRERANA VERMA
Digitally signed by PRERANA VERMA

(कु. प्रेरणा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समायोजन का प्रमाण पत्र

अभियुक्त का नाम	**पवनराम बघेल**
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि (अ)	
अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक	---
न्यायालय में पेश करने की तिथि	---
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि	**निरंक**
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि (ब)	
न्यायालय में पेश करने की तिथि	---
जमानत पर रिहा करने की तिथि	---
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि	---
अभियुक्त के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी कुल अवधि, जिसका समायोजन किया जाना है **(अ) + (ब)**	
निरंक	

PRERANA VERMA
Digitally signed by PRERANA VERMA

(कु. प्रेरणा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)